न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 70/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री सोहन सिंह शेखावत निवासी हसपुर खुर्द थाना खैरथल जिला अलवर।
2. वाहन मालिक गाडी संख्या आरजे–14–जीडी–5492
3. श्री सुरेश शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स आनंद सर्विस स्टेशन (आईओसीएल पेट्रोल पम्प) चौकी गोरधनपुरा, एनएच 8, कोटपूतली।
4. तेजपाल यादव, मुनीम आनंद सर्विस स्टेशन।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री के.डी.शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना जोबनेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.03.2014 को एन.एच. 8 पर पनियाला मोड, कोटपूतली पर नारनौल रोड से आ रहे ट्रक टेंकर संख्या आरजे–14जीडी–5492 को रुकवाकार चैक करने पर इसमें डीजल भरा मिला। टैंकर चालक अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 3 ने उसे 7000 रु. प्रतिमाह पर रखा हुआ है तथा इस टैंकर में 12000 लीटर डीजल है जो कि अप्रार्थी संख्या 4 ने एचएन पेट्रोल पम्प रायमलिकपुर, हरियाणा से भरवाया है। इस डीजल को लेकर वह आनंद सर्विस स्टेशन जा रहा है। जांच कार्यवाही के दौरान टैंकर के कक्ष संख्या 1,2,3 व 4 में क्रमशः 2000, 4000, 3000 व 3000 कुल 12000 हजार लीटर डीजल मिला। वक्त जांच अप्रार्थी संख्या 1 ने डीजल के खरीदने के बिल नहीं दिये तथा डीलज खरीद बेच का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये सेम्पल लेने के पश्चात शेष रहे 11991 लीटर डीजल तथा ट्रक टेंकर संख्या आरजे–14जीडी–5492 को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से दिनांक 14.07.2022 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी। दिनांक 06.06.2014 को श्री बालमुकुन्द सिन्धी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 2,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 25.06.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उनका उक्त जब्त टैंकर व डीजल से कोई सम्बन्ध नहीं है। टैंकर चालक द्वारा ना तो उक्त डीजल उनके यहां से खरीदा है ना ही उन्होने यह डीजल मंगवाया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध धारा 3/7 के तहत कोई प्रकरण किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही विचाराधीन है। साथ जवाब को ही बहस मानने का कथन किया है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 25.03.2014 को जब्त डीजल को क्रय करने संबंधी दस्तावेज अप्रार्थीगण पक्षकार द्वारा वक्त जांच व आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है। टेंकर चालक ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 3 ने उसे 7000 रु. प्रतिमाह पर रखा हुआ है तथा इस टैंकर में 12000 लीटर डीजल है जो कि अप्रार्थी संख्या 4 ने एचएन पेट्रोल पम्प रायमलिकपुर, हरियाणा से भरवाया है। इस डीजल को लेकर वह आनंद सर्विस स्टेशन ज़ा रहा है। जबकि अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने उक्त टेंकर व डीजल से अपना कोई संबंध होने से इनकार किया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के एक समय पर 1000 लीटर से ज्यादा डीजल स्वयं या अन्य किसी भी व्यक्ति के मार्फत भण्डारित करना राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में दिनांक 25.03.2014 की कार्यवाही के दौरान जब्त 12000 हजार लीटर, डीजल व उक्त में इस्तेमाल में संलिप्त ट्रक टेंकर नं. आरजे–14जीडी–5492 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate - III JAIPUR